DoIT
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग

राजस्थान सरकार
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग

क्रमांक :–एफ.2(1849)/डी.ओ.आई. टी./संस्था/14/ए/56611/2016 जयपुर, दिनांक : 7/9/16

अनापत्ति प्रमाण पत्र

सत्येन्द्र कुमार पुत्र **श्री मनोहर लाल**, सूचना सहायक, जो कि कार्यालय एसीपी (उपनिदेशक) सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, पंचायत समिति पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ को NIELIT, Formally DOEACC Society, New Delhi से B Level पाठयक्रम में Re-Registration एवं पत्राचार में सम्मिलित होने की स्थिति में इस विभाग को कोई आपत्ति नहीं है। उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति **सत्येन्द्र कुमार**, सूचना सहायक को निर्देशानुसार निम्नलिखित शर्तो पर प्रदान की जाती है:–

1. शिक्षण संस्थान में अध्ययन का समय यदि कार्यालय समय के समान ही हो तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त मानी जाएगी।
2. कर्मचारी का पदस्थापन अध्ययन स्वीकृति संस्थान के मुख्यालय से परिवर्तन/स्थानान्तरित हो जाता है तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त हो जाएगी।
3. कर्मचारी को प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष मे उतीर्ण की गयी परीक्षा की सत्यापित अंकतालिका परीक्षा परिणाम घोषित होने के 30 दिवस मे उचित माध्यम से इस विभाग को प्रेषित करनी होगी।
4. परीक्षा दिवसों के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा।
5. अध्ययन स्वीकृत दिये जाने से कर्मचारी को किसी स्थान विशेष पदस्थापन निरन्तर रखने का अधिकार नहीं मिल पाएगा और उसका स्थानान्तरण किया जा सकता है।
6. अध्ययन से राजसेवक दैनिक राजकीय कार्य सम्पादन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करेगा अन्यथा स्वीकृति समाप्त कर दी जाएगी।
7. अध्ययन वर्ष मे कर्मचारी की उपस्थिति का प्रतिशत कम होने पर उसकी पूर्ति हेतु सरकार/विभाग द्वारा किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा।
8. प्रशासनिक कारणों से अध्ययन परीक्षा हेतु स्वीकृति बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।
9. परीक्षा के दिवसों में उपभोग किए गए अवकाश नियमानुसार जिस श्रेणी में आवेदित किए गए हों, के अनुसार उचित स्तर पर स्वीकृति हेतु भिजवाने की सम्पूर्ण जिम्मेदारी सम्बन्धित विभाग की होगी।
10. इस अनापत्ति प्रमाण पत्र से अभ्यर्थी दवारा किए जा रहे अध्ययन के पाठ्यकम या विश्वविद्यालय की मान्यता या गैर–मान्यता के सम्बन्ध में इस विभाग की स्वीकृति नहीं मानी जायेगी।
11. पत्राचार/स्वयंपाठी पाठ्यकम हेतु आवेदक को बाकी रहे वर्षो–द्वितीय/तृतीय की परीक्षा के लिए पुनः अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन की आवश्यकता नहीं है।

–sd–
(आशुतोष.एम.देशपाण्डे)
तकनीकी निदेशक एवं पदेन
संयुक्त सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित है :–

1. ए.सी.पी. (उपनिदेशक), कार्यालय एसीपी (उपनिदेशक) सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, पंचायत समिति पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ को सूचनार्थ प्रेषित है।
2. प्रभारी अधिकारी, वेबसाइट, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विमाग, जयपुर को अपलोड करने हेतु।
3. सत्येन्द्र कुमार, सूचना सहायक, कार्यालय एसीपी (उपनिदेशक) सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, पंचायत समिति पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ ।
4. संबंधित निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।

तकनीकी निदेशक एवं पदेन
संयुक्त सचिव